



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ३४ ) काठमाडौं, माघ २६ गते २०४१ साल (संख्या ४३)

## भाग ३

श्री ५ को सरकार

### वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।२।१८ को निर्णय अनुसार नेपाल वन सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरू, २०३३ को नियम ५ को उप-नियम (५) को अनुसूची २ को क्रमसंख्या २ मा उल्लिखित स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूहका लागि निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका सट्टा नियम संशोधन नभएसम्मका लागि देहायबमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सि. नं. । समूह । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

- |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३. | स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन | स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशनमा स्नातक वा वन विज्ञानमा स्नातक वा ए. आई. एफ. सी. पास गरेको वा कृषि विज्ञानमा स्नातक भै स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशनमा विशेष तालीम हासिल गरेको वा कृषि इन्जिनियरिङमा स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन विषय लिई स्नातक वा सो सरह । |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

खण्ड ३३ मिति २०४०।४।२ संख्या १४ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको यससम्बन्धी सूचना खारेज गरिएको छ ।

आज्ञाले,  
जितेन्द्रलाल मास्के  
श्री ५ को सरकारको सचिव

६८६

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।